7/7/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की मौरूषी कृषि भूमियां होकर, प्रार्थी का भी हक-हिस्सा निहित है। यदि दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात का अंतरण हो जाता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी एवं पेचिदगिया बढ़ने की संभावना बनती है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन का कोई खण्डन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया	उपखण्ड अधिकारी (हस्ताक्षर)

प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है-

विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के तामूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम भैंसाकमेड़, पटवार हल्का भैंसाकमेड़, तहसील खमनोर के खाता संख्या नया 21 पुराना 15 में वर्णित आराजीयात खसरा संख्या 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 143, 144, 146, 149, 151, 152, 2501, 2506, 2508 कुल किता 20 कुल रकबा 0.0411 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि का अंतरण नहीं करें। इस हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि का अंतरण नहीं करें अर्थात् रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर। नबंर से कम होकर। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमंद